प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 24 फरवरी, 2021**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 का कार्यान्वयन की योजना में आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं कम्प्यूटर आपरेटर के मानदेय भुगतान हेतु योजनान्तर्गत हो रही बचत के सापेक्ष मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0-6.40 लाख की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-खा0प्र0मि0-5713/बजट/2020-21 दिनांक 15.12.2020 के सन्दर्भ में एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-378/ई-1/दस-2021, दिनांक-15.02.2021 पृष्ठांकन संख्या-146/58-2-2021-300(15)/2017 दिनांक-19.02.2021 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 का कार्यान्वयन के 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हो रही सम्भावित बचतों के सापेक्ष लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 का कार्यान्वयन के 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0-6.40 (रूपया छः लाख चालिस हजार मात्र)** की व्यवस्था पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	कोड सं0/ मद का नाम जिसमें बचत हो रही है	बचत की धनराशि	कोड सं0/मद का नाम जिसमें पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अपेक्षित है	पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त धनराशि
10	2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04-फल-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 का कार्यान्वयन	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6.40	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6.40
	योग-				6.40

(रूपया छः लाख चालिस हजार मात्र)

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

.....2/-

http://sinasanadesh.up.nic.in

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

4- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

5- अवमुक्त की जा रही धनराशि का सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाये।

6- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

7- उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 2020/231-2020-दस/149-1-बी/2020/1-दिनांक-24.03.2020 संख्या 2020/231-2020-दस/192-1-बी/2020/4-दिनांक 07.04.2020-एवं संख्या-2020/231-2020-दस/196-1-बी/2020/5दिनांक11.04.2020- में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-60/2021/153(1)/58-2-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in